



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

38-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 14, 2016 (PHALGUNA 24, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th March, 2016

No. 2-HLA of 2016/4.— The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 2- HLA of 2016

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016.
2. In clause (n) of sub-section (2) of section 8 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994,—
 - (i) for the sign ‘.’ existing at the end, the sign and word ‘; or’ shall be substituted;
 - (ii) after clause (n), following clauses shall be inserted, namely:—
 - “(o) if he has been convicted or charges have been framed against him by a court in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years; or
 - (p) if he fails to pay an arrear of any kind due to him to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank; or
 - (q) if he fails to pay arrears of electricity bills; or

Short title.

Amendment of section 8 of Haryana Act 16 of 1994.

- (r) if he has not passed matriculation examination or its equivalent examination from any recognized institution/board:

Provided that in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled Caste, the minimum qualification shall be middle pass:

Provided further that in case of a woman candidate belonging to Scheduled Caste, the minimum qualification shall be 5th pass; or

- (s) if he fails to submit a self declaration to the effect that he has a functional toilet at his place of residence.”.

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No. 3 of 2016), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The amendment of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 aims to strengthen the Urban Local Bodies, the third tier of the Governance and improving efficiency, transparency and accountability by making education as a necessary qualification for the office bearers of Urban Local Bodies. With the 74th Constitutional amendment, the Urban Local Bodies are being vested with more powers and funds which requires the Members of Urban Local Bodies to discharge executive functions like planning, implementation of infrastructural projects, resource allocations, disbursements of funds, purchase of goods, regulation of activities in urban area and laying down of procedures for their day to day functioning. Prescribing minimum standards of education will not only help in augmenting performance of the Members of Urban Local Bodies, but also reduce chances of them being misled and ensure their accountability. In view of good literacy rate in the State, election of educated candidates for Urban Local Bodies will prove to be a catalyst for faster and sustainable development of cities.
2. Elected member of ULBs are leaders of society and their conduct should be impeccable.
3. There are instances where persons have been let off because of shortcomings in the investigation process and/ or non-fulfilment of technical specifications like absence of sanction of prosecution or lack of strong prosecution by the public prosecutor. Therefore, conviction or charges framed against any person by a court in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years is being made as a disqualification for contesting the elections of Urban Local Bodies.
4. The Urban Local Bodies are also expected to lead social change and foster economic development in the cities. All this requires educated and informed leadership, which can lead by example. Therefore, default of payment of electricity bill or of loans of co-operative Institutions is being made as disqualification for contesting the elections of Urban Local Bodies.
5. The appropriate sanitation arrangements in the residential areas of urban population is the main attention of the time and in this scenario the provision of functioning toilets in each and every house is must. To boost and encourage such type of provision of toilet must be started from the elected representative of the Urban Local Bodies. Therefore, non provision of functional toilet at the place of residence of a candidate is being made as disqualification.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 14th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 2-एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 8 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) में,-

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "; या" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ण) यदि वह किसी आपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है या उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हों ; या

(त) यदि वह किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर देय किसी प्रकार के बकाया का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(थ) यदि वह बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(द) यदि उसने किसी मान्यताप्राप्त संस्था/ बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास न की हो :

परन्तु महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता मिडल पास होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी ; या

(ध) यदि वह इस आशय की स्वतः घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है कि उसके अपने निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है ।”।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, जोकि शासन का तीसरा स्तर है, को मजबूत करना है तथा शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिये शिक्षा को एक आवश्यक योग्यता के रूप में बनाकर उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अधिक शक्तियां व निधियां निहित की जा रही हैं, जिसके लिये शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को नीतिगत, संरचनात्मक परियोजना को लागू करने, संसाधन आबंटन, निधि का भुगतान, वस्तुओं की खरीद, शहरों में गतिविधियों सम्बन्धी तथा दिन-प्रतिदिन सम्बन्धी प्रक्रियाओं जैसे अन्य कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना केवल मात्र शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की कार्यशैली में सुधार ही नहीं करेगा बल्कि उनके गुमराह करने के अवसरों में कमी लायेगा तथा उनकी जिम्मेवारी निर्धारित करेगा। राज्य की अच्छी साक्षरता दर के मध्यनजर शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों पर शिक्षित उम्मीदवारों का चुनाव शहरों के दीर्घ कालिक विकास में गतिशीलता का उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
2. शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं एवं उनका आचरण त्रुटिहीन होना चाहिये।
3. ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों को जांच प्रक्रिया में कमियों और/या तकनीकी विनिर्देशों के पूर्ण ना करने, जैसे कि अभियोजन की मंजूरी या सरकारी वकील द्वारा मजबूत अभियोजन की कमी के कारण मुक्त कर दिया जाता है। इसलिये, दोषसिद्धि या किसी आपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम ना हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हों, को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्यता बनाया जा रहा है।
4. शहरी स्थानीय निकाय शहरों के सामाजिक बदलाव व आर्थिक उन्नति के लिये अग्रगामी समझी जाती हैं। ये सभी शिक्षित और सचेतक नेतृत्व चाहती हैं जो उदाहरणीय हो। अतः बिजली के बिलों का बकाया तथा सहकारी संस्थाओं के ऋणों की अदायगी के दोषी को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य बनाया जा रहा है।
5. शहरी जनसंख्या के आवासीय क्षेत्र में उचित सफाई प्रबन्धों का होना समय की मुख्य मांग है तथा इस परिदृश्य में प्रत्येक घर में शौचालय का चालू हालत में होना अति आवश्यक है। इस प्रकार शौचालय के प्रावधान को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने हेतु यह शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आरम्भ किया जाना आवश्यक है। इसलिये शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने हेतु किसी उम्मीदवार के घर पर चालू हालत में शौचालय का प्रावधान ना होने को, अयोग्यता बनाया जा रहा है।

कविता जैन,

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 14 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,

सचिव।